(वेबसाईट पर अपलोड हेतू)

बीकानेर नगर निगम

नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :— 2226906, फोन :— 0151—2226902, 0151—2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

क्रमांक / विद्युत / 2023-24 / 2 8 4-9 7

ई–निविदा सूचना संख्या 26/विद्युत/2023–24

नगर निगम बीकानेर द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु ईच्छुक सक्षम/पात्र सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री सम्भरण करने के लिए अनुभवी हो, से निर्धारित प्रपत्र में एक वर्ष की वार्षिक दर संविदा पर ई–बोली प्रक्रिया से ऑनलाईन बोलियाँ आंमत्रित की जाती है। कार्यों की अनुमानित लागत, टेण्डर बेचे जाने तथा प्राप्त करने की तारीख, टेण्डर शर्ते इत्यादि का सम्पूर्ण विवरण राज्य सरकार के ऑनलाईन पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर निविदा शुल्क, प्रोसेसिंग शुल्क एवं बयाना (EMD) राशि जमा करवानें के पश्चात् निविदा को ई-प्रोक्योरमेंट पोर्टल eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनुमानित राशि (लाखों में)	प्रोसेसिंग शुल्क (MD,RISL)	निविदा शुल्क	बयाना राशि (EMD)	कार्य अवधि
1.	वार्ड संख्या 09, 13 एवं 65 के विभिन्न पार्कों में प्रकाश व्यवस्था व विद्युतीकरण का कार्य।	12.28	500/-	1000/-	2%	02 माह

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की प्रारम्भिक दिनांक व समय

ऑनलाईन निविदा अपलोड करने की अन्तिम दिनांक व समय

ऑनलाईन निविदा खोलने की दिनांक व समय

क्रमांक / विद्युत / 2023 / 2 8 4 9 8 - 2 8 5 ०) प्रतिलिपि :--

- 1. माननीय महापौर, नगर निगम बीकानेर।
- 2. सहायक / मुख्य लेखाधिकारी, नगर निगम बीकानेर।
- 3. प्रभारी विद्युत, नगर निगम बीकानेर।
- 4. नोटिस बोर्ड, नगर निगम बीकानेर एवं अधीनस्थ क्षेत्रीय / खण्ड मुख्यालयों के नोटिस बोर्ड पर।
- 5. सुरक्षित पत्रावली।

🖊 निगम, बीकानेर

02/10/2023को 18:00 बजे तक

<u>26 09 2023</u>को 09:30 बजे से

03 10 2023 को 11:00 बजे पश्चात्

आयुक्त नगर निगम, बीकानेर दिनांक :- 22/09/23



दिनांक :- <u>22/09/2</u>3



नगर निगम मार्ग, बीकानेर (राजस्थान) फैक्स :- 2226906, फोन :- 0151-2226902, 0151-2226905 E-mail :- nagarnigambikaner@gmail.com, Web Site :- www.bikanermc.org

कमांक/ विद्युत/2023/ 28997 28505

दिनांक :- <u>22109123</u>

ई–निविदा सूचना संख्या 26/विद्युत/2023–24

नगर निगम बीकानेर द्वारा विद्युत सम्बन्धित कार्यो (अनुमानित लागत राशि 12.28 लाख रूपये) हेतु सक्षम/पात्र सम्भरणकर्ता जो कार्य करने/सामग्री संभरण करने के लिए अनुभवी हो, से एक वर्ष की वार्षिक दर संविदा पर निर्धारित प्रपन्न में ई—बोली प्रक्रिया से ऑनलाईन बोलियाँ आमत्रित की जाती है। निविदा कार्य से सम्बन्धित सम्पूर्ण विवरण एवं तिथि राज्य सरकार की ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in, www.sppp.rajasthan.gov.in तथा नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर देखी व डाउनलोड की जा सकती है तथा निर्धारित अवधि तक ई—प्रोक्योरमेंट पोर्टल http://eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड की जा सकती है।

1. UBN Code :-

आयुक्त नगर निगम, बीकानेर

दिनांक :- <u>2209123</u>

क्रमांक / विद्युत / 2023 / 28 50 S

 श्रीमान् निदेशक, राजस्थान संवाद, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग को प्रेषित कर निवेदन है कि उक्त निविदा का प्रकाशन निर्धारित समाचार पत्र में RTPP के नियम 43(6) के अनुसार प्रकाशित करने का श्रम करावें एवं Intimation नगर निगम बीकानेर की ई—मेल आईडी nagarnigambikaner@gmail.com पर भिजवाने का श्रम करें।

नगर निंगम. बीकानेर

10.

--: ई-टेण्डर हेतु निविदादाता के लिये निर्देश :--

- निविदा पूर्णतया ऑनलाईन प्रक्रिया द्वारा भरी जावेगी। इच्छुक निविदादाता को अपने डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को वेबसाईट http://eproc.rajasthan.gov.in_पर रजिस्टर्ड होना आवश्यक है।
- त्विदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत बयाना (EMD) राशि का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट <u>www.bikanermc.org</u> पर <u>Pay Online Tender</u> ऑप्शन द्वारा <u>Online Tender, RISL, EMD Fee Pay</u> पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट <u>www.eproc.rajasthan.gov.in</u> पर अपलोड करना अनिवार्य होगा।
- अत्य प्रतिष्ठ एवं EMD राशि से कम भुगतान करने वाली बोली पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा निविदा हेतु अयोग्य माना जावेगा।

प्रोसेसिंग शुल्क MDRISL, Jaipur के नाम से देय होगा एवं शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :--

काय का अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	0 (0
50 लाख तक	निर्धारित शुल्क
	500/-
50 लाख से अधिक 01 करोड़ से कम	1500/-
01 करोड़ से अधिक 05 करोड़ से कम	
05 करोड़ से अधिक	2000/-
उठ कर ए रा जावर)	2500/-

निविदा शुल्क निम्नानुसार निर्धारित है :-

1

नाम	आयुक्त, नगर निगम बीकानेर
कार्य की अनुमानित लागत राशि (लाखों में)	निर्धारित शुल्क
१० लाख तक	500/-
10 लाख से अधिक	1000/-

- > इन निविदाओं में भाग लेने वाले निविदादाताओं को अपनी फर्म के नाम से डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट को ऑनलाईन वेबसाईट पोर्टल पर रजिस्टर करना होगा। ऑनलाईन निविदा में भाग लेने के लिये डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत् प्राप्त करना होगा, जो ई–निविदा में डिजिटल रूप से साईन करने हेत् काम आयेगा। निविदादाता उपरोक्त डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट सी.सी.ए. द्वारा स्वीकृत ऐजेन्सी से प्राप्त कर सकते हैं। जिन निविदादाताओं के पास में पूर्व में वैध डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट है, उन्हें नया डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता है।
- 🕨 निविदादाताओं को निविदा प्रपन्न ईलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में उपरोक्त वेबसाईट पर डिजिटल साईन के साथ अपलोड करना होगा। जिनके प्रस्ताव डिजिटल साईन के साथ नहीं होंगे, उनके प्रस्ताव स्वीकार नहीं किये जायेंगे।
- ▶ ई–निविदा प्रपत्रों को जमा करवाने से पूर्व निविदादाता यह सुनिश्चित कर लेवें कि निविदा प्रपत्रों से सम्बन्धित समस्त आवश्यक दस्तावेजों की रकेन कॉपी निविदा प्रपत्रों के साथ हस्ताक्षर मय सील सहित संलग्न कर ऑनलाईन अपलोड कर दी गई है।
- ▶ टेण्डर के प्रपत्रों में आवश्यक समस्त कॉलम को समुचित रूप से भरकर ही ऑनलाईन दर्ज करें।
- ▶ यदि निविदादाता टेण्डर को ऑनलाईन जमा करवानें में किसी भी कारण से विलम्ब हो जाता है तो उसका जिम्मेदार विभाग नहीं होगा।
- ≻ किसी भी बोलीदाता की बोली को स्वीकार करने एवं बिना कारण बताये निरस्त करने के समस्त अधिकार सक्षम अधिकारी के पास सुरक्षित है।
- ▶ राजस्थान लोक उपापन पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013, सामान्य वित्त एवं लेखा नियम तथा लोक निर्माण वित्तीय एवं लेखा नियम के नियम लागू होंगे।
- किसी प्रकार की टंकणीय त्रुटि होने की स्थिति में विभागीय ISOR/BSR में वर्णित दरें / विवरण मान्य होंगी।
- RTPP and GF&AR S.R. 16 में वर्णित समस्त शर्तें वर्तमान परिपेक्ष्य में लागू होगी।



—ः तकनीकी निविदा प्रपत्र :—

निविदा में भाग लेने वाली फर्मो की तकनीकी जाँच निम्न बिन्दुओं के आधार पर ही की जावेगी। संवेदक _{द्वीरी} तकनीकी बिड मूल्यांकन हेतु निम्नलिखित दस्तावेज स्केन कर पीडीएफ फोरमेट में ऑनलाईन अपलोड करने अनिवार्य हैं:--

31					
क्र.सं.	दस्तावेज का विवरण				
ф. (I.].	निविदादाता द्वारा निविदा की निर्धारित टेण्डर फीस, प्रोसेसिंग फीस एवं कार्य राशि की 2 प्रतिशत EMD का भुगतान ऑनलाईन माध्यम से नगर निगम बीकानेर की वेबसाईट www.bikanermc.org पर Pay Online Tender ऑप्शन द्वारा Online Tender, RISL, EMD Fee Pay पर होगा। निविदा का ऑनलाईन भुगतान करने के पश्चात् जारी हुई रसीद की				
	प्रति को ऑनलाईन वेबसाईट www.eproc.rajasthan.gov.in पर अपलोड करना अनिवार्य होगा। नगर निगम बीकानेर में ब्लड रिलेशन नहीं होने बाबत् 50/– रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ–पत्र।				
2.	किसी भी राजकीय कार्यालय में फर्म के डी-बार/ब्लैकलिस्ट ना होने का 50/- रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर				
3.	पर शपथ-पत्र।				
4.	राजस्थान अनुबंधित श्रमिक (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 द्वारा जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रतिलिपि प्रस्तूत करने का 50 / – रूपये के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ–पत्र।				
	प्रस्तुत प्रारंग यो 307 - रंगेन प्राण प्राण्डारायल स्टाम पर शपथ—पत्र। राजस्थान दुकान एवं वाणिज्यिक संस्थान अधिनियम, 1958 रजिस्ट्रेशन अथवा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के अंतर्गत				
5.	अथवा इंडियन कंपनी एक्ट 1956 के अंतर्गत जारी पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।				
6.	कर्मचारी भविष्य निधि हेतु (EPF) पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।				
7.	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम (ESI) 1948 पंजीयन प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति।				
8.	जी.एस.टी. पंजीयन की सत्यापित प्रति।				
<i>o.</i> 9.	पेन कार्ड की सत्यापित प्रति।				
10.	वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक, कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक राजस्थान सरकार के सूचना संख्या / क्रमांक संख्या TR-4063/2018 एवं कार्यालय वरिष्ठ विद्युत निरीक्षक विद्युत निरीक्षणालय के पत्र क्रमांक व.नि.नि. / लाईसेंस / 2021 / 7454 दिनांक 29.06.2021 द्वारा यह सूचित किया गया है कि विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गए समस्त श्रेणी के विद्युत ठेकदारों के लाईसेन्स, विद्युत पर्यवेक्षकों के सक्षमता प्रमाण–पत्र, विद्युत पर्यवेक्षकों (खान) एवं विद्युत वायरमेन परमिट को भी ऑनलाईन पोर्टल eid.rajasthan.gov.in पर माईग्रेट (डिजीटल) करवाना आवश्यक है। डिजीटल की प्रतिलिपि के अभाव में पुराना लाईसेन्स मान्य नहीं होगा। अतः सभी निवेदकों को उक्त डिजीटल लाईसेन्स कि प्रतिलिपि निविदा के साथ				
11.	विद्युत कार्य हेतु किसी भी सरकारा या अद्धसरकारा कार्यालय म नियारत जना न न न पुरास कार्या सत्यापित प्रति :– 1. E-EWSD-I st Any Amount (कोई ^{भी} राशि) 2. E-EWSD-II nd Up to 25.00 Lacs				
	4. E-EWSD-IV th Up to 05.00 Lacs				
12.	4. E-EWSD-IV th Up to 05.00 Lacs संवेदक द्वारा निविदा दस्तावेजों में संलग्न समस्त प्रपत्रों (Annexure A SOR-2022, A, B, C, D, and SR-11 Form) पर स्वयं द्वारा प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।				
	्राषी अभियंता (वि.) सहायक लेखाधिकारी मुख्य लेखाधिकारी जगर निगम, बीकानेर नगर निगम, बीकानेर नगर निगम, बीकानेर				

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

:— निविदा की सामान्य शर्ते :—

- यदि निविदादाता ऐसी शर्ते आरोपित करता है जो इसमें वर्णित शर्तों के अतिरिक्त है या उनके विरोध में है तो उसकी निविदा को 1. संक्षिप्त रूप में कार्यवाही कर रदद कर दिया जाएगा। किसी भी सूरत में इनमें से किसी भी शर्त को स्वीकार किया हुआ नहीं समझा जावेगा जब तक कि क़ेता अधिकारी द्वारा जारी किये गए निविदा स्वीकृति के पत्र में विशेष रूप से उल्लेखित न किया
- केन्द्र सरकार एवं राजस्थान सरकार के उपक्रम प्रतिभूति राशि जमा करवाने से मुक्त होंगे। 2.
- कार्य सम्पादन प्रतिभूति :- माल और सेवाओं के उपापन के मामले में प्रदाय आदेश की रकम 5 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु 3. उद्योगों से भिन्न रूग्ण उद्योगों के मामले में जिनके मामले औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (BIFR) के समक्ष लम्बित है, प्रदाय आदेश की रकम का 1 प्रतिशत होगी। यह निम्न में से किसी एक रूप में जमा करवानी होगी :--किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी।

 - राष्ट्रीय बचत पत्र। 2.
 - किसी अनुसूचित बैंक की बैंक गारन्टी। 3.
 - किसी अनुसूचित बैंक की निपत जमा रसीद (एफडीआर)। 4.
 - E-Grass कार्य सम्पादन प्रतिभूति से सम्बन्धित शर्ते :--5.
 - (a) कार्य सम्पादन प्रतिभूति पर कार्यालय द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।
 - (b) निम्नलिखित मामतों में कार्य सम्पादन प्रतिभूति समपहरण (Forfiet) कर ली जावेगी।
 - 1. जब संविदा के किन्हीं निबंधन / शर्तों का उल्लंघन किया जाता है।
 - 2. जब निविदादाता सम्पूर्ण कार्य संतोषजनक ढंग से करने में असफल रहता है।
 - 3. कार्य सम्पादन प्रतिभूति का समपहरण करने के मामले में युक्तियुक्त समयपूर्व नोटिस दिया जायेगा। इस सम्बन्ध में आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम होगा।
- बोली प्रतिभूति :- उपापन की विषय वस्तु के प्राक्कलित मूल्य का 2 प्रतिशत होगी। राजस्थान के लघु उद्योगों की दशा में जिनके 4. मामले औद्योगिकी एवं वित्त पुनर्निर्माण बोर्ड के समक्ष लम्बित है, यह बोली के मूल्य का 1 प्रतिशत होगी, जो कि नगद ऑनलाईन माध्यम से जमा करवानी होगी। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जोवगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों को कोई बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जोवगा। केन्द्र एवं राज्य सरकार के उपक्रमों से बोली प्रतिभूति की घोषणा ली जावेगी एवं कार्य की बयाना राशि (EMD) प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है।
- असफल बोली लगाने वालों की बोली प्रतिभूति का प्रतिदाय सफल बोली की अंतिम स्वीकृति और करार के हस्ताक्षर करने और 5 कार्य सम्पादन प्रतिभूति प्रस्तुत करने के शीघ्र पश्चात् कर दिया जावेगा।
- बोली लगाने वाले सें ली गई बोली प्रतिभूति निम्नलिखित मामलों में समपहरण कर दी जावेगी :--6.
 - 1. जब बोली लगाने वाला बोली के खुलने के पश्चात् अपनी बोली प्रत्याहत या उपान्तरित करता है।
 - जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर करार यदि कोई हो का निष्पादन नहीं करता है। 2.
 - जब बोली लगाने वाला विनिर्दिष्ट समय के भीतर प्रदाय/संकर्म आदेश के अनुसार माल या सेवा का प्रदाय या संकर्म का 3. निष्पादन प्रारम्भ करने में असफल रहता है।
 - जब बोली लगाने वाला प्रदाय/संकर्म आदेश दिये जाने के पश्चात् विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर कार्य सम्पादन प्रतिभूति जमा नही करवाता है।
- सफल बोली लगाने वाले की दशा में, बोली प्रतिभूति की रकम कार्य सम्पादन प्रतिभूति की रकम में समायोजित की जा सकती है 7. या लौटाई जा सकती है। यदि सफल बोली लगाने वाला पूर्ण रकम की कार्य सम्पादन प्रतिभूति दे देता है।
- दरें शब्दों एवं अंकों दोनों में लिखी जावेगा। इसमें कोई त्रुटियाँ / उपरिलेखन नहीं होना चाहिए। यदि कोई दरें अस्पष्ट होने पर 8. शब्दों में लिखी गई दर मान्य होगी।
- निविदाएं उनके खोले जाने के दिनांक से 03 माह (90 दिवस) की अवधि के लिये मान्य होगी। 9.
- निविदादाता फर्म अपनी संविदा को या उसके किसी साखान भाग को किसी अन्य एजेन्सी के लिए नहीं सौंपेगी या उसे भाडे पर 10. नहीं देगी।
- 11. बयाना राशि का प्रतिदाय (Refund of Earnest Money) असफल निविदादाता की बयाना राशि निविदा को अंतिम रूप से स्वीकार करने के बाद या यथा शीघ्र लौटाई जाएगी।
- 12. क्रेता अधिकारी या उसका विधिवत् प्राधिकृत प्रतिनिधि, सभी युक्तियुक्त समयों पर प्रदायकर्ता के परिसर में जाएगा तथा उसे विनिर्माण की प्रक्रिया के दौरान या उसके बाद जैसा भी निश्चय किया जाए, सभी युक्तियुक्त समयों पर मालों / उपकरणों / मशीनों की सामग्री एवं कार्य कौशल की निरीक्षण एवं जाँच करने की शक्ति होगी।
- 13. यदि उपापन संख्था किन्हीं निविदत्त वस्तुओं की खरीद नहीं करता है या निविदा प्रपत्र में निर्दिष्ट मात्रा से कम मात्रा में माल खरीदता है तो निविदादाता किसी क्षतिपूर्ति का क्लेम करने का हकदार नहीं होगा।
- 14. वोलीदाता द्वारा कार्यालय के किसी कार्मिक को बोली के संबंध में या अन्य प्रकार से दबाव बनाने या परेशान करने पर बोली दाता/फर्म को ब्लैक लिस्ट किया जाकर कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी।

- 15. बोली दस्तावेज में वर्णित शर्तों, प्रावधान, शारित आदि के सम्बन्ध में अस्पष्टता होने पर या उल्लेख नहीं होने पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य बाध्य होगा अर्थात् बोली दस्तावेज में शर्तों, प्रावधान, शारित आदि का उल्लेख नहीं हो या विवाद की रिथति उत्पन्न होती है तो उस पर आयुक्त, नगर निगम बीकानेर द्वारा निर्धारण किया जाएगा जो अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
- 16. वार्षिक दर संविदा अवधि में किसी भी प्रकार का कोई भी विवाद या विवाद की स्थिति उत्पन्न होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/वाध्य होगा।
- 17. तकनीकी योग्यता के निर्धारण के लिए समस्त शपथ पत्र पर घोषणा राजस्थान सरकार के स्टाम्प पर पृथक पृथक प्रस्तुत किया जावेगा जिस पर उपापन समिति या आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य/बाध्य होगा।
- 18. बोली दस्तावेज को डाउनलोड करके बोली को दस्तावेज में वर्णित समस्त शर्तों, प्रावधान, शास्ति आदि अच्छे से पढ़ कर भली भांति समझ कर उनको स्वीकार करने के प्रमाण में बोली दस्तावेज के प्रत्येक पृष्ठ पर बोलीदाता द्वारा हस्ताक्षर मय सील कर तकनिकी बोली दस्तावेज के साथ अपलोड किया जाना अनिवार्य है अन्यथा बोली पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 19. ई बोली का प्रत्याहरण, प्रतिस्थपन और उपांतरण ऑनलाइन ही अंतिम तिथि से पूर्व किया जावेगा। ऑफलाईन या कार्यालय में प्रस्तुत पत्र पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 20. बोली प्रक्रिया पर बोली दाता को कोई भी आपत्ति होने पर राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के प्रावधान के अनुसार अपील की जा सकती है तथा शिकायत पर विचार नहीं किया जावेगा।
- 21. बोली वित्तीय बोली खोलें जाने की दिनांक से 90 दिवस की अवधि तक मान्य होगी जिसे विशेष परिस्थितियों में बढ़ाया भी जा संकेगा जिस पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य /बाध्य होगा।
- 22. बोली दस्तावेज में किसी शर्त, प्रावधान, शास्ति आदि का विरोधाभास होने पर आयुक्त नगर निगम बीकानेर का निर्णय अंतिम एवं मान्य / बाध्य होगा।
- 23. वित्त विभाग राज सरकार जयपुर या सक्षम प्राधिकारी द्वारा राजस्थान लोक उपापन में पारदर्शिता अधिनियम 2012 एवं नियम 2013 के अनुसरण में कोई भी संशोधन एवं परिपत्र जारी किया जाता है तो स्वतः ही इस बोली दस्तावेज एवं वार्षिक दर अनुबंध का हिस्सा होगा एवं लागू होगा।
- 24. उपापन संस्था किसी भी निविदा जो आवश्यक रूप से न्यूनतम दर की निविदा नहीं है, को स्वीकार करने, बिना कोई ठोस कारण बताये किसी भी निविदा को रद्द करने या जिन वस्तुओं के लिए निविदादाता ने निविदा दी है, उन सब के लिए या किसी एक या अधिक निविदादाताओं के लिए निविदा को स्वीकार करने या एक फर्म या प्रदायकर्ता से अधिक को वितरित करने का अधिकार अपने पास आरक्षित रखेगी।
- 25. निविदादाता करार को निष्पादित करते समय निम्न दस्तावेज प्रस्तुत करेगा :
 - 1. यदि भागीदारी फर्म हो तो भागीदारी विलेख (पार्टनरशिप डीड) की एक अनुप्रमाणित प्रति।
 - 2. यदि भागीदारी फर्म रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स के पास पंजीकृत हो तो पंजीयन संख्या एवं उसका वर्ष।
 - 3. एक मात्र स्वामित्व के मामले में आवास एवं कार्यालय का पता, टेलीफोन नो.।
 - 4. कंपनी के मामले में कंपनी के रजिस्ट्रार के द्वारा जारी किया गया प्रमाण पत्र।
- 26. यदि संविदा के निर्वाचन, आशय या संविदा की शर्तों के सम्बन्ध में कोई विवाद उत्पन्न होता है तो पक्षकारों के द्वारा मामले को विभागाध्यक्ष को भेजा जायेगा जो उस विवाद के लिए एकमात्र मध्यस्त (सोल आर्बिट्रेटर) के रूप में अपने वरिष्ठतम उप अधिकारी की नियुक्ति करेगा। यह उप अधिकारी इस संविदा से संबधित नहीं होगा तथा उसका निर्णय अंतिम होगा।
- 27. संवेदक द्वारा निविदा दस्तावेजों में संलग्न समस्त प्रपत्रों (Annexure A SOR-2022, A, B, C, D, and SR-11 Form) पर स्वयं द्वारा प्रमाणित कर ऑनलाईन अपलोड करना होगा।

O

अधिशाषी अभियंता (वि.) नगर निगम, बीकानेर

लेखाधिकारी

सहायक लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर

मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर

नगर निगम

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

- सभी निविदादाताओं पर सामान्य वित्तीय लेखा नियम, नगरपालिका नियम व लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 और PWF&AR के नियम/प्रावधान लागू होगें।
- निविदाएं उन फर्मौ/डीलर्स द्वारा दी जानी चाहिए जो या तो उन लेखों/उपकरण/मशीनरी के लिए पंजीकृत/अनुमोदित आपूर्तिकर्ता है, जो वास्तव में उन सामानों में हैं जिनके लिए निविदा दी जा रही है।
- निविदादाता द्वारा निविदा प्रपत्र के साथ दिये गये दस्तावेज सही नहीं पाए जाने पर निविदा कभी भी निरस्त की जाकर नियमानुसार कार्यवाही का अधिकार आयुक्त महोदय का होगा।
- 4. <u>निविदादाता अपने ठेके या उसके किसी मूल भाग को किसी अन्य एजेन्सी/फर्म को सबलेट/स्थानान्तरित नही कर सकेगा।</u>
- 5. यदि सफलतम निविदादाता/ठेकेदार कार्ये आदेश में निर्धारित समय अवधि से पूर्व बिना किसी पर्याप्त कारण के वित्तीय अनुसूची/वितीय स्वीकृत दर पर कार्य करने में असफल रहता है तो ठेकेदार की प्रतिभूति राशि जब्त करने के अलावा शेष अवधि के लिए ठेकेदार के हर्जे खर्चे (Risk & Cost) पर नगर निगम कार्य करवाने के लिए स्वतंत्र होगा।
- निविदादाता को बिना सूचना दिये निविदा निरस्त करने का अधिकार आयुक्त / महापौर का होगा।
- 7. किसी भी प्रकार का विवाद होने पर श्रीमान् आयुक्त / महापौर द्वारा दिया गया निर्णय मान्य होगा।
- 8. निविदा खोलने के बाद प्रस्ताव वापस लेता है या उपन्तरण करता है या करार निर्धारित अवधि में नहीं करता है, प्रतिभूति राशि जमा नहीं करवाता है तो लोक उपापन नियम 2013 व लोक उपापन एव पारदर्शिता एक्ट 2012 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 9. नगर निगम किसी भी निविदा को स्वीकृत / अस्वीकृत करने के अधिकार अपने पास सुरक्षित रखता है। यह आवश्यक नही है कि वह न्यूनतम निविदा को ही स्वीकार करें वह किसी भी निविदा को बिना कारण बताये रद्द कर सकता है।
- 10. यदि निविदादाता किन्ही बाधाओं के कारण संविदान्तर्गत कार्य को पूरा करने के लिए समय में वृद्धि चाहता है, तो वह लिखित में उस प्राधिकारी को आवेदन करेगा जिसने कार्य आदेश दिया है किन्तु वह उसके लिए निवेदन बाधा के गठित होने पर तुरन्त उसी समय करेगा न कि कार्य प्रारम्भ होने की निर्धारित तारीख के बाद करेगा।
- 11. धरोहर राशि के निविदा के अंतिम में रूप से स्वीकार किये जाने के पश्चात् नियमानुसार समस्त असफल निविदाकार को प्रत्यप्रित कर दी जावेगी। यदि किसी फर्म की कोई राशि नगर निगम बीकानेर कार्यालय में पूर्व में जमा है तो उसे धरोहर / प्रतिभूति राशि पेटे नहीं माना जावेगा।
- 12. परफोरर्मेंस गारंटी आदि हेतु राज्य वित्त विभाग के वर्तमान नियम प्रभावी होंगे।
- 13. उक्त कार्य की दोष दायित्व अवधि (DLP) एवं रख–रखाव के लिए समयावधि 02 वर्ष होगी। उक्त अवधि के समाप्ति के पश्चात् कार्य संतोषजनक पूर्ण होने पर ही एस0डी0 राशि लौटाई जावेगी।
- 14. वित्त विभाग राजस्थान सरकार द्वारा जारी आदेश दिनांक 22.10.2021 के अनुसार अतिरिक्त प्रतिभूति राशि (Additional Performance Security) Unbalanced Bid Amount का 50 प्रतिशत अनुबंध सम्पादन से पूर्व निगम कोष में ई—ग्रास, डिमाण्ड ड्राफट, बैंकर्स चैक या बैंक गारन्टी के रूप में जमा करवानी होगी।
- 15. दरें सभी प्रकार के कर सहित मानी जावेगी। किसी भी प्रकार का अतिरिक्त कर देय नही होगा।
- 16. समय–समय पर उक्त अवधि के दौरान नगर निगम अथवा राज्य सरकार / केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये दिशा निर्देश / आदेश को मानने अथवा उसकी पालना करने के लिए ठेकेदार बाध्य होगा।
- 17. ठेकेदार को लेबर लॉ की पालना करनी होगी। ठेकेदार द्वारा कार्य हेतु प्रशिक्षित कर्मचारी लगाने होंगे, यदि ठेकेदार के कर्मचारियों की कार्य के दौरान कोई दुर्घटना / जान माल की हानि होती है तो उसका समस्त उत्तरदायित्व ठेकेदार का होगा।
- 18. संवेदक / फर्म के सम्बन्धित श्रेणी में पंजीकृत होने सम्बन्धी राज्य वित्त विभाग के नियम लागू होंगें।
- 19. आयुक्त नगर निगम युक्ति—युक्त कारण सहित इस चालू ठेके को सात दिवस के नोटिस पर निरस्त कर सकेंगे। इस निरस्तिकरण के कारण कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं दी जायेगी।
- 20. न्यायिक विवाद की स्थिति में न्यायालय क्षेत्र बीकानेर होगा।
- 21. केन्द्र सरकार द्वारा लगाए गए एवं परित सेवाकर का भुगतान स्वयं ठेकेदार को करना होगा।
- 22. निबन्धनों तथा शर्तो को भंग करने या संविदा को असन्तुष्ट ढंग से पूर्ण करने पर नगर निगम द्वारा बैंक गारन्टी/प्रतिभूर्ति/अमानत राशि जब्त कर ली जाएगी। इस संबंध में महापौर/आयुक्त नगर निगम, बीकानेर का निर्णय अन्तिम होगा।
- 23. नगर निगम बीकानेर द्वारा आवश्यकतानुसार कार्यादेश दिए जावेंगे, जिनका समयबद्ध कार्य सम्पादन संवेदक को करना होगा।
- 24. संवेदक द्वारा लगाए जाने वाले सामान, वायर इत्यादि आईएसओआर, 2017 के अनुरूप होना अनिवार्य है।
- 25. कार्य करते समय संवेदक को IER (Indian Electricity Rule) की पालना सुनिश्चित करनी होगी।
- 26. संवेदक को नवीन विद्युत उपकरणों हेतु निर्माता द्वारा जारी गारण्टी/वारण्टी कार्ड एवं अन्य उपलब्ध करवाना होगा एवं उक्त अवधि में किसी प्रकार की तकनीकी खामी को दुरूस्त बिना किसी अतिरिक्त व्यय के करना होगा।
- 27. बिल का भुगतान नियमानुसार औपचारिकताएं व प्रमाणीकरण के पश्चात् किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा ग्रांट/बजट में विलम्ब होने की स्थिति में भुगतान विलम्ब होने पर ठेकेदार द्वारा प्रशासन पर दबाव नही बनाया जाएगा।
- 28. सफलतम निविदादाता को नियमानुसार नॉन ज्यूडिश्यल स्टाम्प पर अनुबंध करना होगा।
- 29. ठेकेदार द्वारा कार्य संतोषजनक न होने पर महापौर/आयुक्त, द्वारा 03 नोटिस देने पर ठेका/निविदा स्वतः ही निरस्त मानी जायेगा। उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्युरीटी) एवं जमा राशि निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी।

30.

,

- संशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। प्रस्तुत दुरें निविदा तिथि से 90 दिवस की अवधि तक मान्य होगी। 31.
- किसी कारणवंश कार्य निर्धारित समय में पूर्ण नहीं हो पाता है तो उसका लिखित में कारण बताते हुए आयुक्त नगर निगम, सफलतम निविदादाता की दरें स्वीकृत की जाती है, तो आदेश अनुसार निर्धारित अवधि के भीतर कार्य संपादित करना होगा। 32.
- 33.
- निविदादाता द्वारा न्यून्तम दर आने पर यदि निगम कार्य आदेश जेती है तो उसे अनुबंधित दर पर कार्य करना होगा अन्यथा जन्म प्रक्रिपति सणि (शिल्लानिफ) विस्तर्य वि निगम कार्य आदेश देती है तो उसे अनुबंधित दर पर कार्य करना होगा अन्यथा उसकी प्रतिभूति राशि (सिक्यूरिटी) निगम द्वारा जब्त कर ली जावेगी। 34
- विवाद की रिश्वति में विभागीय कार्यवाही हेतु प्रथम अपील अधिकारी उपनिदेशक (क्षेत्रीय) रथानीय निकाय विभाग एवं द्वितीय अपील अधिकारी निदेशक एवं उपशासन सचिव स्वायत शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर होगा।
- राज्य में लागू श्रम नियमों के अन्तर्गत अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ. एवं ई.एस.आई. की राशि जमा करने का 35
- श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों व अधिसूचनाओं तथा केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये 36. गये दिशा—निर्देशों की पालना करने का दायित्व संवेदक का ही होगा। श्रम विधि के अन्तर्गत निर्धारित नियमों, उपनियमों, अधिसूचनाओं, दिशा—निर्देशों आदि की पालना नहीं करने की रिथति में उसके परिमाणों/दायित्वों के लिये संवेदक स्वयं उत्तरदायी होगा।
- नियोजित अभिकों को 240 दिवस पूर्ण कर लिये जाने पर औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1974 में विहित प्रावधानों के अनुसार श्रम 37. नियोजित श्रमिकों को हटाने, कार्यमुक्त करने, नोटिस वेतन, छंटनी, मुआवजा आदि देने का समस्त उत्तरदायित्व संवेदक का होगा ।
- कार्य सम्पादन अवधि के दौरान कार्य के संबंध/संदर्भ में किसी भी प्रकार की क्षतिपूर्ति या मुआवजा देने/ई.एस.आई 38. करवाने/ सामुहिक दुर्घटना बीमा कराने इत्यादि की जिम्मेदारी एवं दायित्व संवेदक का होगा, इसके लिये उपापनन संस्था की कोई जिम्मेदारी नही होगी।
- संवेदक को राज्य/केन्द्र सरकार की नवीनतम दरों के अनुसार अपने समस्त श्रमिकों का नियमानुसार ई.पी.एफ एवं ई.एस.आई. 39. जमा कराना होगा, जिसमें नियोजित श्रमिकों की मजदूरी राशि से कटौती और संवेदक का अंशदान शामिल होगा। संवेदक द्वारा अपने आगामी माह के बिल के साथ गत माह के पेटें श्रमिकों के ई.पी.एफ और ई.एस.आई. के अंशदान की राशि नियमानुसार जमा कराये जाने की पुष्टि में सम्वन्धित चालान की प्रति प्रस्तूत किये जाने पर ही संवेदक को आगामी माह के बिल/बिलों का भूगतान किया जायेगा।
- संवेदक यह सुनिश्चित करें कि कार्य करने वाले कार्मिकों द्वारा समुचित सूरक्षा उपकरणों का प्रयोग करना अनिवार्य है। सुरक्षा 40. मापदण्डों में किसी भी तरह की लापरवाही बरतने से यदि किसी जान-माल की क्षति अथवा अप्रिय घटना घटित होती है तो इसकी सम्पर्ण जिम्मेदारी स्वयं संवेदक / फर्म की होगी।
- संवेदक को RUIDP ISOR, 2022 के Annexure-A की पालना सुनिश्चित करनी होगी। 41
- निविदा प्रक्रिया में भाग लेने वाले निविदादाता निविदा सम्बंधित शर्तों को भली—भाँति पढ़ एवं समझ लेंवे एवं शर्तों से सहमत 42. होने के पश्चात ही निविदा प्रक्रिया में भाग लेंवे।

अधिशाषी अभियंता (वि.) नगर निगम, बीकानेर

सहायक लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर

मुख्य लेखाधिकारी नगर निगम, बीकानेर

उपायुक्त नगर निगम, बीका

उपरोक्त समस्त शर्ते मेरे द्वारा भली–भाँति पूर्ण रूप से पढ़ ली/समझ ली गई हैं एवं मुझे समस्त शर्ते मान्य है।

निविदादाता के सील मय हस्ताक्षर

Annexure-A

Additional Technical parameters of products/ work

- PWD specifications for Electrical works -2012 (as amended upto date), relevent IS codes, National Building Code / National Lighting Code / National electric Code / Indian Electricty Rules (all as amended upto date) shall be treated as part of this Electric BSR-2021 for the purpose of detailed specifications & clarifications, if any. Henceforth this BSR-2021 shall be considered as part of all contracts/ agrements, controversy / dispute in interpretation of BSR -2021.
- 2 The mode of measurment of wiring and method of work execution shall be uniform & strictly as laid down in PWD specification for electrical works 2012 in general and for genuine work practice.
- 3 All Items including Makes & Models must be approved in writing before / at the time of layout by Engineer-in-Charge as per specifications with additional standard warranty proof of OEM beyond one year gaurantee for complete item or its part of product [For eg. Standard warranty period of complete electric geyser is 2 years while inner tank & element have five year & four year in market] Engineer incharge should ensure to give preferance to the product which have maximum warranty of OEM among available options in market, so department can avail benifit of standard warranty facility for betterment of work as and when required. This approval letter should be enclosed in every work agreement file .

Sr.No.	Item Name	Tests Must be done through NABL accrediated/CPRI/ERDA or other approved Labs or as specified with individual item :-
1	F/T accessories (Non Modular all switch/ socket/ regulator etc.)	01 out of 300 Nos. (Total all switch/ socket/ regulator etc.)
2	Modular accessories (all switch/ socket/ regulator etc.)	01 out of 300 Nos. (Total all switch/ socket/ regulator etc.)
3	FR PVC Flexible Copper Conductor (Total of any Size)	01 out of 5000 Mtr (Any size as per EE required)
4	PVC Conduit (Total of all sizes)	01out of 500 Mtr. (Total of all sizes)
5	Steel Conduit (Total of all sizes)	01 out of 500 Mtr. (Total of all sizes)
6	Sheet Steel Box/ M.S. Box/ GI Box/ PVC Box (Total of all sizes)	01 out of 200 Nos. (Total of all sizes)
7	MCB (1 Pole to 4 Pole) (Total of all amp rating)	01 out of 100 Nos. (Total of all amp rating)
8	DB (SPN to all TPN)	01 out of 20 Nos. (SPN to all TPN)
9	Panel accessories meters/ switches/relays)	OEM test certificate required.

4 Test of specified items below must be done in NABL accrediated/CPRI/ERDA or other approved Labs by contractor & no extra payment shall be made to the contractor for below mentioned tests & procedures at all :-

10	ACB & MCCB	01 out of 05 Nos ACB (OEM type test certificate also required for each quantity.) & 01 out of 25 Nos MCCB (OEM type test certificate also required for each quantity.)			
11	SFU (All Types)	01out of 10 Nos (OEM type test certificate also required.)			
12	LT/ HT Cable (Total All sizes)	01 Sample for 500 Mtr.			
13	Earthing (Gel)	01 out of 10 Nos. (factory visit)			
14	Ceiling Fan/ Exhaust /fresh air/ wall mounting fan. (Total All sizes)	01 out of 100 Nos. (Total All sizes)			
15	Storage water heater (Geyser)	01 out of 20 Nos.(OEM test certificate required.)			
16	LED Lighting fixture & accessories (Indoor & Out door (Total all	01 out of 200 (Indoor)			
	types)	01 out of 50 (Outdoor)			
17	LAN wiring	I.O.(LAN Point)- if Min. 80 Nos. (OEN 20 years performance warranty certificate With penta scanner report required With no extra cost.)			
18	LAN Accessories	Switch – OEM / Auth. Dealer genuineness Certificate required.			
19	Motor & Pumps , submersible etc.(Total all types)	01 out of 10 Nos. (OEM Certificate for every Piece)			
20	Lattice tower	Factory Inspection compulsory			
21	Air Conditioner	AC- 01 out of 25 Nos. (Factory visit)			
22	Air cooling machine/ Chillers	Factory Inspection / III party certificate must			
23	Transformer	01 out of 01 Nos. (Engineer visit compulsory at manufacturing site)			
24	Fire Pump / Engine	III party inspection must.			
25	Street light pole	If more then 25 , Factory Inspection / III party certificate must			
26	High mast pole	Factory Inspection / III party certificate must			
27	DG set	Factory Inspection / III party certificate must			
28	RMU	Factory Inspection / III party certificate must			
29	Bus Bar Trukning	Factory Inspection / III party certificate must			

30	Solar water heater	Factory Inspection / III party certificate
		must

- 5 Any Items can be send for testing by Engineer-in-Charge in any NABL accredited/ CPRI/ERDA /Other approved Lab. Payment of testing charge shall be made by department for that. Contractor is liable to make all necessary arrangement to send the sample & get reports from lab, no extra payment shall be made to contractor for this arrangement.
- 6 Testing Lab for above must be selected after written consent of Engineer-in-Charge.
- 7 Contractor should submit minimum one year valid gaurentee certificate of OEM & Liable product genuineness certificate (purchase proof) from OEM/ Authorised Dealer for such products like :- modular & non modular, copper conductor, PVC and steel conduit, Sheet steel/MS/GI/PVC boxes, MCB, DBs, panel accessories (meters/switches/ relays), ACBS, MCCBS/ LT & HT cables, Gel Earthing, Ceiling fan, Exhaust fan, fresh air fan, wall mounting fan, Inner tank of storage water heater- geyser, LED lighting- Indoor & Outdoor, Air conditioners compressor & PCB, Transformer, Fire pump, Engine, Fire extingushers, fire detectors, High mast pole & Other major item etc. which uses at site as per tender. Contractor should furnish a commitment letter for after sales service support of product to department till minimum next five years.
- 8 Appropriate/ Routine type Test Certificates/ reports related to IS code with liable standard warranty proof / certificate of product from OEM shall be submitted by contractor during/ at the time of execution & should be verified by Engineer-in-Charge about the fulfillment of all required test certificates/ reports as per IS code.
- 9 All hidden items during execution like roof conduiting, cable laying, earthing etc must be in presence of engineer-in-charge or site engineer. GPS Photo be attach at the time of measurment of such items by officers for ensuring the genuine work practice.
- 10 Engineer-in-Charge must ensure the quality of product as per specifications to be used at site by means of testing / inspection / lab visit/ OEM Certificate. If engineer-in-charge finds the product used by contractor inferior in quality then they can immediately stop the work & bidder must change the item after getting approval from engineer-in- charge.
- 11 Engineer-in-Charge must ensure that all items used from any particular chapter of this BSR for any individual project, should be of same brand which is approved before execution as per availability. For example DB & accessories, pannel accessories, wiring accessories, fan and fixtures, LAN all passive copper & fiber components and other chapters etc.
- 12 Circulars & amendments issue time to time by Chief Engineer's office, PWD, Rajasthan, Jaipur with regards to Electric BSR-2021 & electric works shall form the part of RUIDP SOR-2022.
- 13 All ISI/ BIS/ ISO/ NABL/ ERDA/ CPRI/ ESTA or other certified products in this BSR are subject to condition of valid certification from these agencies, otherwise use of the specific product in this BSR will automatically be cancelled for corresponding project.

Annexure A : Compliance with the Code of Integrity and No Conflict of Interest

Any person participating in a procurement process shall -

- (a) not offer any bribe, reward or gift or any material benefit either directly or indirectly in exchange for an unfair advantage in procurement process or to otherwise influence the procurement process;
- (b) not misrepresent or omit that misleads or attempts to mislead so as to obtain a financial or other benefit or avoid an obligation;
- (c) not indulge in any collusion, Bid rigging or anti-competitive behavior to impair the transparency, fairness and progress of the procurement process;
- (d) not misuse any information shared between the procuring Entity and the Bidders with an intent to gain unfair advantage in the procurement process;
- (e) not indulge in any coercion including impairing or harming or threatening to do the same, directly or indirectly, to any party or to its property to influence the procurement process;
- (f) not obstruct any investigation or audit of a procurement process;
- (g) disclose conflict of interest, if any; and
- (h) disclose any previous transgressions with any Entity in India or any other country during the last three years or any debarment by any other procuring entity.

Conflict of Interest:-

The Bidder participating in a bidding process must not have a Conflict of Interest.

A Conflict of Interest is considered to be a situation in which a party has interests that could improperly influence that party's performance of official duties or responsibilities, contractual obligations, or compliance with applicable laws and regulations.

i. A Bidder may be considered to be in Conflict of Interest with one or more parties in a bidding process if, including but not limited to:

- a. have controlling partners/ shareholders in common; or
- b. receive or have received any direct or indirect subsidy from any of them; or
- c. have the same legal representative for purposes of the Bid; or
- d. have a relationship with each other, directly or through common third parties, that puts them in a position to have access to information about or influence on the Bid of another Bidder, or influence the decisions of the Procuring Entity regarding the bidding process; or
- e. the Bidder participates in more than one Bid in a bidding process. Participation by a Bidder in more than one Bid will result in the disqualification of all Bids in which the Bidder is involved. However, this does not limit the inclusion of the same subcontractor, not otherwise participating as a Bidder, in more than one Bid; or
- f. the Bidder or any of its affiliates participated as a consultant in the preparation of the design or technical specifications of the Goods, Works or Services that are the subject of the Bid; or
- g. Bidder or any of its affiliates has been hired (or is proposed to be hired) by the Procuring Entity as engineer-in-charge/ consultant for the contract.

Doc1

Annexure B : Declaration by the Bidder regarding Qualifications

Declaration by the Bidder

- 1. I/we possess the necessary professional, technical, financial and managerial resources and competence required by the Bidding Document issued by the Procuring Entity;
- 2. I/we have fulfilled my/our obligation to pay such of the taxes payable to the Union and the State Government or any local authority as specified in the Bidding Document;
- 3. I/we are not insolvent, in receivership, bankrupt or being wound up, not have my/our affairs administered by a court or a judicial officer, not have my/our business activities suspended and not the subject of legal proceedings for any of the foregoing reasons;
- 4. I/we do not have, and our directors and officers not have, been convicted of any criminal offence related to my/our professional conduct or the making of false statements or misrepresentations as to my/our qualifications to enter into a procurement contract within a period of three years preceding the commencement of this procurement process, or not have been otherwise disqualified pursuant to debarment proceedings;
- 5. I/we do not have a conflict of interest as specified in the Act, Rules and the Bidding Document, which materially affects fair competition;

Signature of bidder Name : Designation: Address:

Doc1

Date:

Place:

Annexure C : Grievance Redressal during Procurement Process

The designation and address of the First Appellate Authority is ______ The designation and address of the Second Appellate Authority is _______

(1) Filing an appeal

If any Bidder or prospective bidder is aggrieved that any decision, action or omission of the Procuring Entity is in contravention to the provisions of the Act or the Rules or the Guidelines issued thereunder, he may file an appeal to First Appellate Authority, as specified in the Bidding Document within a period of ten days from the date of such decision or action, omission, as the case may be, clearly giving the specific ground or grounds on which he feels aggrieved:

Provided that after the declaration of a Bidder as successful the appeal may be filed only by a Bidder who has participated in procurement proceedings:

Provided further that in case a Procuring Entity evaluates the Technical Bids before the opening of the Financial Bids, an appeal related to the matter of Financial Bids may be filed only by a Bidder whose Technical Bid is found to be acceptable.

- (2) The officer to whom an appeal is filed under para (1) shall deal with the appeal as expeditiously as possible and shall endeavour to dispose it of within thirty days from the date of the appeal.
- (3) If the officer designated under para (1) fails to dispose of the appeal filed within the period specified in para (2), or if the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity is aggrieved by the order passed by the First Appellate Authority, the Bidder or prospective bidder or the Procuring Entity, as the case may be, may file a second appeal to Second Appellate Authority specified in the Bidding Document in this behalf within fifteen days from the expiry of the period specified in para (2) or of the date of receipt of the order passed by the First Appellate Authority, as the case may be.

(4) Appeal not to lie in certain cases

No appeal shall lie against any decision of the Procuring Entity relating to the following matters, namely:-

- (a) determination of need of procurement;
- (b) provisions limiting participation of Bidders in the Bid process;
- (c) the decision of whether or not to enter into negotiations;
- (d) cancellation of a procurement process;
- (e) applicability of the provisions of confidentiality.

(5) Form of Appeal

- (a) An appeal under para (1) or (3) above shall be in the annexed Form along with as many copies as there are respondents in the appeal.
- (b) Every appeal shall be accompanied by an order appealed against, if any, affidavit verifying the facts stated in the appeal and proof of payment of fee.

Doc1

(c) Every appeal may be presented to First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, in person or through registered post or authorised representative.

(6) Fee for filing appeal

- (a) Fee for first appeal shall be rupees two thousand five hundred and for second appeal shall be rupees ten thousand, which shall be non-refundable.
- (b) The fee shall be paid in the form of bank demand draft or banker's cheque of a Scheduled Bank in India payable in the name of Appellate Authority concerned.

(7) Procedure for disposal of appeal

- (a) The First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, upon filing of appeal, shall issue notice accompanied by copy of appeal, affidavit and documents, if any, to the respondents and fix date of hearing.
- (b) On the date fixed for hearing, the First Appellate Authority or Second Appellate Authority, as the case may be, shall,-
 - (i) hear all the parties to appeal present before him; and
 - (ii) peruse or inspect documents, relevant records or copies thereof relating to the matter.
- (c) After hearing the parties, perusal or inspection of documents and relevant records or copies thereof relating to the matter, the Appellate Authority concerned shall pass an order in writing and provide the copy of order to the parties to appeal free of cost.
- (d) The order passed under sub-clause (c) above shall also be placed on the State Public Procurement Portal.

FORM No. 1 [See rule 83]

	Memorandum of Appeal under the Rajasthan Transparency in Public Procuren Act, 2012	
	Appeal Noof	
	Before the (First / Second Appellate Authority)	
	1. Particulars of appellant:(i) Name of the appellant:	
	(ii) Official address, if any:	
	(iii) Residential address:	
	2. Name and address of the respondent(s):	
	(ii)	
	(iii)	
	Number and date of the order appealed against and name and designation of the officer / authority who passed the order (enclose copy), or a statement of a decision, action or omission of the Procuring Entity in contravention to the provisions of the Act by which the appellant is aggrieved: If the Appellant proposes to be represented	
	by a representative, the name and postal address	
	of the representative:	
5.	Number of affidavits and documents enclosed with the appeal:	
6.	Grounds of app	eal:

		an
	(fidavit)	
	Pra	yer:
		• • • •
		••••
	'lace	
	Date	
	Appellant's Signature	

Docl

Annexure D : Additional Conditions of Contract

1. Correction of arithmetical errors

Provided that a Financial Bid is substantially responsive, the Procuring Entity will correct arithmetical errors during evaluation of Financial Bids on the following basis:

- i. if there is a discrepancy between the unit price and the total price that is obtained by multiplying the unit price and quantity, the unit price shall prevail and the total price shall be corrected, unless in the opinion of the Procuring Entity there is an obvious misplacement of the decimal point in the unit price, in which case the total price as quoted shall govern and the unit price shall be corrected;
- ii. if there is an error in a total corresponding to the addition or subtraction of subtotals, the subtotals shall prevail and the total shall be corrected; and
- iii. if there is a discrepancy between words and figures, the amount in words shall prevail, unless the amount expressed in words is related to an arithmetic error, in which case the amount in figures shall prevail subject to (i) and (ii) above.

If the Bidder that submitted the lowest evaluated Bid does not accept the correction of errors, its Bid shall be disqualified and its Bid Security shall be forfeited or its Bid Securing Declaration shall be executed.

2. Procuring Entity's Right to Vary Quantities

(i) At the time of award of contract, the quantity of Goods, works or services originally specified in the Bidding Document may be increased or decreased by a specified percentage, but such increase or decrease shall not exceed twenty percent, of the quantity specified in the Bidding Document. It shall be without any change in the unit prices or other terms and conditions of the Bid and the conditions of contract.

(ii) If the Procuring Entity does not procure any subject matter of procurement or procures less than the quantity specified in the Bidding Document due to change in circumstances, the Bidder shall not be entitled for any claim or compensation except otherwise provided in the Conditions of Contract.

(iii) In case of procurement of Goods or services, additional quantity may be procured by placing a repeat order on the rates and conditions of the original order. However, the additional quantity shall not be more than 25% of the value of Goods of the original contract and shall be within one month from the date of expiry of last supply. If the Supplier fails to do so, the Procuring Entity shall be free to arrange for the balance supply by limited Bidding or otherwise and the extra cost incurred shall be recovered from the Supplier.

Doc1

3. Dividing quantities among more than one Bidder at the time of award (In case of procurement of Goods)

As a general rule all the quantities of the subject matter of procurement shall be procured from the Bidder, whose Bid is accepted. However, when it is considered that the quantity of the subject matter of procurement to be procured is very large and it may not be in the capacity of the Bidder, whose Bid is accepted, to deliver the entire quantity or when it is considered that the subject matter of procurement to be procured is of critical and vital nature, in such cases, the quantity may be divided between the Bidder, whose Bid is accepted and the second lowest Bidder or even more Bidders in that order, in a fair, transparent and equitable manner at the rates of the Bidder, whose Bid is accepted. निविदादाताओं द्वारा घोषणा

मै/हम घोषणा करता हूँ/करते है कि मैनें/हमने

यदि उक्त निविदा में दी गई जानकारी असत्य पायी जाये तो किसी भी अन्य कार्यवाही जो कि जा सकती है, पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मेरी/हमारी प्रतिभूति को पूर्णरूप में समपहन्त कर लिया जाएगा तथा निविदा का, जिस सीमा तक उस स्वीकार किया गया है, रद्द कर दिया जाये।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय सील

निविदादाता का नाम पूर्ण पता

टेलीफोन नं० (निवास) (कार्यालय)

कार्यालय नगर निगम बीकानेर

Name of Work :- वार्ड संख्या 09, 13 एवं 65 में स्थित विभिन्न पार्कों में प्रकाश व्यवस्था व विद्युतीकरण का कार्य।

"<u>G-Schedule</u>"

				E-NIT No. 26/Light/2023-24/01			
S.No.	Item code	Item description	Qty.	Units	Rate	Amount (in Rs.)	
1	E110500	Labour charges for Excavation of 30cmx75cm size trench in loose soil including refilling of excavated earth, compaction of earth, making good the same complete as required.	1160.00	mtr	61.00	70760.00	
2	E110132A	Providing & Laying P.V.C. / XLPE insulated & P.V.C. sheathed Unarmoured / Armoured aluminium cable of 1.1 KV grade as per PWD specification for electrical Works in existing RCC / Hume / Stoneware / PVC pipe/ open duct/cable trench with filling of excavated earth in trench , on existing cable trays or on surface etc. including making necessary connection, testing etc. as required of size and as per points (a), (b), (c), mentioned below:- (a) Material :- H4- Grade aluminium conductor of purity >99.6 % & as per IS:1554 P-I / IS :7098 P – I (b) conductor shall have electrolytic aluminium confirming to IS 8130, IS 3975-1999 for armouring of cables in armoured cable items , IS 5831 for sheath, IS 10810 (Part 0 to 64) for testing procedures. (c) OEM Must have ISO 9001 & 14001 certifications for quality assuarance & its own in house NABL lab setup for all testing facilities for cables . Appropriate type test certificate / OEM test report shall be submitted . All above as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR. 6.0 Sq. mm 2 core	1165.00	mtr	71.00	82715.00	
3	E110133A	10.0 Sq. mm 2 core	123.00	mtr	83.00	10209.00	
4	E111301	P/Laying ISI marked P.V.C. insulated submersible cable confirming to IS:694 with flexible copper conductor including making connection etc. as required 1.5 Sq.mm 3 core flat.	335.00	mtr	56.00	18760.00	
5	E040103	Suppying and drawing FR PVC insulated & unheathed flexible copper condutor as per PWD specification for electrical works with ISI mark (IS:694) and as per IS 8130 : 2013 of 1.1 KV grade. Wire should be made from 99.99% purity copper. Class 5 stranding in acc. to IEC 60228 for lower watt loss, oxygen free (<10 ppm) forless chances of oxidization and higher silver content for gives better conductivity, insulation PVC type A or C, flame retradant as per IS 10810- 53, better amperage rating as per VDE 0298 part 4, in existing surface of recessed PVC/MS conduit/casing capping including all as per pre approved by Engineer in charge, making connections, etc. as required. OEM must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for wires, For additional technical parameters of products/ work. Annexure "A" attached with BSR.	40.00	mtr	37.00	1480.00	
6	E121001	Providing & laying of Double wall corrugated pipe confirming to IS : 14930 P - 1 & 2 with HDPE Coupler at 1 mtr. Depth below the ground for laying cable including making the trench and back filling , compaction of earth as required(Excavation of Earth to be paid Extra as required.) of following Outer Dia. / Inner dia as per IS:4984:1995. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR 55/50 mm	885.00	mtr	68.00	60180.00	
7	E140511	SITC of chemical Gel earthing system of Dual Pipe Technology made of with "B" Class G I Pipe as per IS 1239 (part-1):2004 of Medium duty of following sizes as per points mentioned (a), (b), [c), (d), (e) below :- (a) filled with anti corrosive conductive compounds with the permanent sealings at both the ends, CPRI/ ERDA tested with RMS capacity of minimum 35- 40 KA for withstanding 1 second . (b) To ensure the moisture content and electrical conductivity, 25 kg for 2000 mm & 50 Kgs for 3000mm of resistance lowering earth enhancement material shall be used as a backfill compound. The compound shall be tested form NABL acredeated lab for low resistivity (less than 0.12 Ohm - meter) & high conductivity in nature with carbon as a major content as per referance of IS 3043- 1987,IEEE 80-2013 (clause 14.5d) , IEEE 837 & IER 1956 with latest amendemnts. (c) Heavy duty weather proof poly- propylene earth pit chamber with lockable Jam free lid suitable for safe working load 5000 Kg or more of size Top Dia. 225 to 260 mm, Bottom Dia 300 to 350 mm. and Height 250 to 300 mm. (d) Testing of earth resistance for value of 5 ohms or less as required & must record by engineer in charge during site visit and ensure to enter in measurment book. (e) Self certificate for confirming above standards from OEM is mandatory. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . With Pipe in Pipe Technology (Outer pipe dia. / Inner pipe dia.) Minimum 100 mm dia borewell. GI pipe 2000 mm long, 50 / 25mm, Terminal 40mm x 6 mm GI Strip	8.00	set	4179.00	33432.00	

8	E140707	Supply & Laying following size earth wire in horizontal or vertical run in ground/surface/recess including riveting, soldering, saddles, making connection with GI/Cu thimble etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . 8 SWG G.I. (Hot Dipped) Wire.	1150.00	mtr	11.00	12650.00
9	E180511	Octagonal MS Poles made of S-355JO grade steel sheet, folded lengthwise to obtained Octagonal shape, having single longitudinal seam weld and hot dipped galvanised internally & externally in accordance with IS 2629. (See Table P -01 for specs.) 3 Mtr.	63.00	Each	6210.00	391230.00
10	4.10.1.1	Earth work in excavation in foundation, trenches etc. including dressing of sides and ramming of bottoms, including getting out the excavated material, refilling after laying pipe/ foundation and disposal of surplus excavated material at a lead upto 50m suitable site as per direction of Engineer for following depths, below natural ground / Road top level. In all types soils/ saturated soil such as moorum, sand, sandy silt, clay, black cotton soil, Kankar, etc. Depth upto 1.5 m	28.50	cum	210.50	5999.25
11	13.4	Providing, laying and compacting plain/ reinforced cement concrete of specified grade in foundation/ levelling course/ pile cap using concrete mixer and vibrater complete including cost of form work, as per drawing and technical specifications and as per clause 1100, 1500,1700,2100 of MoRT&H specification including all scaffolding material, labour, machinery. PCC Grade M -20 cum	18.00	cum	5560.00	100080.00
12	22.01.01	Centring and shuttering with plywood or steel sheet upto two stories or height upto 7.5 metre above plinth level including strutting, propping etc. and removal of form for : Foundations, footings, bases of columns, etc. for mass concrete.	42.00	sqm	220.00	9240.00
13	23.09.06	Reinforcement for R.C.C. work at all levels including straightening, cutting, bending, placing in position and binding all complete. Thermo-Mechanically Treated bars.	400.00	kg	64.20	25680.00
14	E181302	Providing & Fixing of IK07 IP 66 protected LED Street Light Luminaire on existing bracket/pole. Fixture made of powder coated single piece pressure die cast aluminum LM6/ ADC12 material with heat dissipation fins on housing with UV stabilized PC/Toughened Glass cover (UV stablzation report submitted for UV cover) and secondary lens on each LED & should be SMD type. The System level Luminaire efficacy >=120 lm/ wt with High Power LEDs is to be used and potted driver must be potted & has a unique BIS R number with Input Voltage AC 120 to 270 V AC with High voltage Cutoff @>=300 V AC and Auto resetting Safety ,Input Frequency 50Hz±3% Power Factor >0.95 driver Efficiency >85% ,THD(I) <10% Humidity 10% to 90% RH Working Temp -5C to 45C . driver current <1000mA shown in LM79 report. The luminaire shall be BIS certified and T.C. certified. Life Expectancy Equal or more than 50000 burning hrs with Minimum 70% lumen maintened ,color Rendering Index >70 and CCT 5700K +355K. Surge protection shall be min ≥ 4 KV internal and min 10 KV external. driver should be Phase to phase protection of 440 V for 4 Hrs. Manufactures Word Mark/Name Engraved/Embossing on die cast housing to allow traceability/authenticity. Fixture shall be AS PER IS 10322 Complianced. OEM Must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79/LM80) Certificat/ report with liable warranty of product/accessories from OEM shall be submitted. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . LED Street Light Fixture 30 watt.	32.00	Each	2465.00	78880.00
15	737	G.I. pipes 65mm dia mtr.	2.00	Mtr	317.00	634.00
16	E181702	Providing & Fixing of Street light bracket made out from following size of 'B' class, Medium class G.I. Pipe confirming to IS : 1239 P - 1 (2004) with heavy duty pole clamp, Saddles suitable fastners etc. as required. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work, refer Annexure "A" attached with this BSR . 25 mm Dia .	42.00	Each	226.00	9492.00
17	13.04.05	Providing, laying and compacting plain/ reinforced cement concrete of specified grade in foundation/ leveling course/ pile cap using concrete mixer and vibrater complete including cost of form work, as per drawing and technical specifications and as per clause 1100, 1500,1700,2100 of MoRT&H specification including all scaffolding material, labour, machinery. RCC Grade M-20	8.50	cum	5600.00	47600.00
18	E181104	Providing & Fixing of ISO certified company made IK10 IP65 protected Top/Bottom mounted LED Post top Light system. Fixture made of powder coated die cast alluminium housing with UV stabalized PC diffuser. The System level Luminous efficacy \geq 90 Lumen/W. SMD LEDs is to be used, System CRI>70, CCT: 3000/4000/6500 K. The integral electronic driver must be potted & has a unique BIS R number constant current and Internal/external surge protection device of min. 4KV(L-N) and efficiency > 85%, PF>0.9, THD<20% and input Voltage range of 90-270V AC at 50Hz. System life of 30000 Burning hours with 70% of Initial Lumens maintained Light output in Cool white or Warm White Colour as per engineers choice. driver current <1000mA shown in LM79 report. Fixture must be in compliance with BIS Standards and T.C. Certificate complete in all respect.OEM Must have its own in house NABL lab setup for all testing facilities for LED fixtures. (LM79/LM80) Certificate/report with liable warranty of product/accessories from OEM shall be submitted. All as per pre approved by Engineer in charge. For additional technical parameters of products/ work , refer Annexure "A" attached with this BSR . 45w LED Post Top Fixture .	20.00	Each	7316.00	146320.00

19	E181303	Providing & Fixing of IK07 IP 66 protected LED Street Light Luminaire on existing	28.00	Each	4405.00	123340.00
		bracket/pole. Fixture made of powder coated single piece pressure die cast aluminum				
		LM6/ ADC12 material with heat dissipation fins on housing with UV stabilized				
		PC/Toughened Glass cover (UV stablzation report submitted for UV cover) and				
		secondary lens on each LED & should be SMD type . The System level Luminaire efficacy				
		>=120 lm/ wt with High Power LEDs is to be used and potted driver must be potted & has				
		a unique BIS R number with Input Voltage AC 120 to 270 V AC with High voltage Cutoff				
		@>=300 V AC and Auto resetting Safety ,Input Frequency 50Hz±3% Power Factor >0.95				
		driver Efficiency >85% ,THD(I) <10% Humidity 10% to 90% RH Working Temp -5C to				
		45C . driver current <1000mA shown in LM79 report. The luminaire shall be BIS certified				
		and T.C. certified. Life Expectancy Equal or more than 50000 burning hrs with Minimum				
		70% lumen maintened ,color Rendering Index >70 and CCT 5700K +355K. Surge				
		protection shall be min ≥ 4 KV internal and min 10 KV external. driver should be Phase to				
		phase protection of 440 V for 4 Hrs. Manufactures Word Mark/Name				
		Engraved/Embossing on die cast housing to allow traceability/authenticity. Fixture shall be				
		AS PER IS 10322 Complianced. OEM Must have its own in house NABL lab setup for all				
		testing facilities for LED fixtures. (LM79/LM80) Certificate/ report with liable warranty of				
		product/accessories from OEM shall be submitted. All as per pre approved by Engineer in				
		charge. For additional technical parameters of products/ work, refer Annexure "A"				
		attached with this BSR . LED Street Light fixture 45 Watt.				
		ő				
		Total Amount				1228681.25
	Say Amount :-					

I/we agree to do the work as per specification and BMC terms & conditions as per G-Schedule @

.....% (Above/Below/BSR) of Tender Amount.

Signature of Contractor with Seal